न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 118/2022

1 कल्याण सिंह दत्तक पुत्र श्री हिम्मत सिंह जाति राजपूत निवासी टिटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.। मृतक
1/1 सुमन कंवर उम्र 25 साल पुत्र स्व. कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी टिटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
1/2 ममता कंवर उम्र 21 साल पुत्र स्व. कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी टिटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 ईश्वर सिंह पुत्र श्री गोरूराम जाति राजपूत निवासी टिटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
2 प्रहलाद सिंह पुत्र श्री सांवत सिंह जाति राजपूत निवासी टिटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
3 मातुसिंह पुत्र श्री सांवत सिंह जाति राजपूत निवासी टिटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
4 राज सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.07.2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी बमुकदमा
उनवानी ईश्वरसिंह बनाम कल्याण सिंह वगै. बमुकदमा
नम्बर 83/2007, पुनः दर्ज 102/2017 पुन दर्ज
76/2021 दावा घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कन्हैयालाल महमिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 23.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 76/2021 में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराना 638 नये खसरा नम्बर 388 व 1480/391 वाके ग्राम टीटनवाड़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात वसीयत पत्र व गोदनामा दोनों सिविल पंजीकृत दस्तावेजात है। उक्त दोनों दस्तावेजात के संबंध में कमीपूर्ति अथवा लिगल फाईडिंग को उक्त दस्तावेजात के संबंध किसी भी प्रकार लिगल फाईडिंग देने का कानूनी अधिकार नहीं है। वादग्रस्त कृषि भूमि स्व. हिम्मत सिंह की पैत्रिक कृषि भूमि है अथवा स्वअर्जित सम्पति है इस संबंध में विचारण न्यायालय ने कोई निष्कर्ष अथवा लिगल फाईडिंग नहीं दी है तथा उक्त कृषि भूमि पैत्रिक सम्पति थी अथवा स्वअर्जित सम्पत्ति है इस संबंध कोई तनकीयात कायम नहीं की है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज गोदनामा प्रदर्श 1 ए दिनांक 22.03.1993 को उप पंजीयक कार्यालय उदयपुरवाटी द्वारा पंजीकृत किया गया था तथा उक्त गोदनामा के जरिये स्व. हिम्मत सिंह ने अपीलान्टस के पिता स्व. कल्याण सिंह को गोद लिया था तथा गोद लेने एवं गोद देने की समस्त प्रकिया पूर्ण की गई थी तथा अपीलान्टस के पिता स्व. कल्याण सिंह के दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र एवं परिवारिक राशन कार्ड तथा मृत्यु प्रमाण पत्र में पिता का नाम हिम्मत सिंह अंकित है इसलिए गोदनामा में किसी प्रकार की कमी है तो भी राजस्व न्यायालय को सिविल पंजीकृत दस्तावेज के बारे में किसी भी प्रकार की फाईडिंग देने का कानूनी अधिकार नहीं है। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 ए वसीयत पत्र एवं मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू 1 गौरूसिंह, पी.डब्लू 2 रक्षपाल सिंह, पी.डब्लू 3 कुन्दन, पी.डब्लू 4 ईश्वर सिंह के बयानात से तनकी नम्बर 1 साबित नहीं हुई है और ना ही विचारण न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 को निर्णित करने में किसी भी साक्ष्य व प्लींडिग का विवेचन नही किया है। केवल वसीयत पत्र प्रदर्श 1 ए को आधार मानकर उक्त तनकी नम्बर 1 निर्णित की है जो कानूनन कतई न्यायोचित नहीं है। वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से कतई साबित नहीं है कि भूमि खसरा नम्बर 388 रकबा 1.72 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1480/391 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल रकबा 1.78 हैक्टेयर के खातेदार हिम्मत सिंह के कोई वारिस नहीं है उक्त हिम्मत सिंह ने अपने जीवनकाल में कल्याण सिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

को गोद लिया था इस संबंध में गोदनामा दिनांक 22.03.1993 को उप पंजीयक उदयपुरवाटी से पंजीकृत करवाया था तथा कल्याण सिंह के दस्तावेज मतदान पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड व कल्याण सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र में पिता का नाम हिम्मत सिंह दर्ज है। अपीलान्ट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तावेज के रूप में पंजीकृत गौदनामा पेश किया था जो प्रतिवादी साक्ष्य के समय प्रदर्शित करवाया गया था उक्त दस्तावेज से यह पूर्ण रूप से साबित है कि प्रतिवादीगण/अपीलान्टस के पिता स्व. कल्याण सिंह को हिम्मत सिंह ने अपने जीवनकाल में गोद लिया था तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ईश्वर सिंह ने साज करके हिम्मत सिंह की भूमि हड़पने के लिए दिनांक 20. 12.1999 को फर्जी वसीयत तैयार की थी। सिविल पंजीकृत दस्तावेज के सही व गलत होने के संबंध में राजस्व न्यायालय को कोई फाईडिंग देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अपीलान्टस स्व. कल्याण सिंह की पुत्रियां है तथा कल्याण सिंह को स्व. हिम्मत सिंह ने अपने जीवनकाल में दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया था इस संबंध में गोदनामा पंजीकृत किया गया था तथा स्व. हिम्मत सिंह द्वारा कल्याण सिंह को गोद लेने के बाद उसके दस्तावेजात में पिता का नाम हिम्मत सिंह दर्ज है तथा हिम्मत सिंह को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि अपने पिता महेशदान सिंह से प्राप्त हुई है। क्योंकि महेशदान सिंह जागीरदार थे और उन्होंने ही अपने पुत्र हिम्मत सिंह को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि दी थी इसलिए उक्त कृषि भूमि पैत्रिक सम्पति है। कानूनन पैत्रिक सम्पति के संबंध में दत्तक पुत्र के हक हिस्से की सम्पत्ति को वसीयत के जरिये हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपील स्वीकार की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट श्री किशनावत ने तर्क दिया कि ग्राम टिटनवाड़ पटवार हल्का टिटनवाड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर नया क्रमशः 388 व 1480/391 रकबा क्रमशः 1.72 व 0.06 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त भूमि के मूल खातेदार हिम्मतसिंह पुत्र महेशदान सिंह थे। हिम्मत सिंह के कोई जाईन्दा वारिस नहीं था। हिम्मत सिंह ने अपने जीवन काल में ईश्वर सिंह को वसीयत पत्र दिनांक 20.12.1999 के आधार पर खातेदार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

घोषित कर दिया था। प्रतिवादी नम्बर 1/1 ने अपने प्रतिवाद में वसीयत पत्र बेअसर करने हेतु कथन किया है लेकिन वसीयत को शून्य घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है राजस्व न्यायालय को नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम टिटनवाड़ पटवार हल्का टिटनवाड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर नया क्रमशः 388 व 1480/391 रकबा क्रमशः 1.72 व 0.06 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त भूमि के मूल खातेदार हिम्मतसिंह पुत्र महेशदान सिंह थे। हिम्मत सिंह के कोई जाईन्दा वारिस नहीं था। हिम्मत सिंह ने अपने जीवन काल में ईश्वर सिंह को वसीयत पत्र दिनांक 20.12.1999 के आधार पर खातेदार घोषित कर दिया था। प्रतिवादी नम्बर 1/1 ने अपने प्रतिवाद में वसीयत पत्र बेअसर करने हेतु कथन किया है लेकिन वसीयत को शून्य घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है राजस्व न्यायालय को नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर